सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलीय अधिकारी
पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
पश्चिम क्षेत्र संचरण प्रणाली -1 नागपुर

संदर्भ: प क्षे /पी. एम. एस. /340/674 दिनांक: 13.01.2021

अपील दिनांक : 19.12.2020
अपील प्राप्ती दिनांक : 19.12.2020

अपीलकर्ता का नाम: श्री. लकेश्वर चौधरी ,
ग्राम- बिजना, पो.लोहरसिंह,
तहसिल- फसोर,
जिला- रायगढ (छतीसगढ़) - 496100
मो. 9009261070

जन अधिकारी का नाम: पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
पश्चिम क्षेत्र संचरण प्रणाली -1 नागपुर

द्वारा: श्री. पंकज दलाल,
जन सुचना अधिकारी
पावर ग्रिड पश्चिम क्षेत्र -1 नागपुर

आपका आवेदन दिनांक 19.12.2020, जो इस कार्यालय में दिनांक.19.12.2020 को प्राप्त हुआ था, के उत्तर मे जन सूचना अधिकारी के पत्र दिनांक 18.11.2020 द्वारा प्रदत सूचना से असंतुष्ट होने के कारण अपील कर्ता ने निम्न अपील की है :

सेवा में,
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
पावर ग्रिड पश्चिम क्षेत्र -1, नागपुर

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्रदान करने बावत

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् निम्न प्रकार की जानकारी देने की कृपा करें -

विद्युत संचरण लाइन का नाम 800 के व्ही. HVDC रायगढ़ छ.ग. से पुगलुरु तमिलनाडू

कृषक का नाम - लकेश्वर चौधरी पिता स्व. प्यारीलाल चौधरी कृषक का ग्राम - बिजना प.ह. नं. -03 तहसील - पुसौर

प्रभावित भूस्वामी खसरा नं. - 324/1छ, 325/2क, 326/2क, 301/2, 301/3, 252/10, 210/4,169/2,163/1,163/2,164/2 जिला - रायगढ़ छ.ग.

अपील, दिनांक. 19.12.2020, के प्राप्त होने पर जन सूचना अधिकारी को बुलाया गया तथा अपील में की गयी शिकायत से अवगत कराया गया।

अपील की प्राप्ति के बाद अपील को संबंधित अधिकारी को भेज दिया गया और आवेदक द्वारा वांछित जानकारी निम्नलिखित के अनुसार जवाब प्रस्तुत किया गया है :

(पत्र क्रमांक: प.क्षे.पा.प्र.-1/पी.एम.एस./340/ 67A दिनांक: 13.01.2021)

क्र.	मांगी गई जानकारी	उत्तर / जानकारी
1	किन-किन खसरा नं. में कौन सी फसल प्रकार के लिए कितना मुआवजा क्षतिपूर्ति दिया गया है एवं कौन सी टावर सेक्शन के लिए ।	संचरण पथ निर्माण कार्य के दौरान टावर कमांक 7A/0 व 7A/1 के मध्य आवेदक के खसरा कमांक 324/1छ व 326/2क शामिल 325/2क पर धान व सरसो के फसल नुकसान के लिए राजस्व विभाग पुसौर के मूल्यांकन अनुसार मुआवजा राशि रुपये 5050/– व रुपये 7100/– आवेदक को प्रदान की गई है।
2	किन-किन खसरा नं. पर कितने वृक्षों की कटाई एवं छटाई के लिए कितना मुआवजा क्षतिपूर्ति दिया गया है एवं कौन सी टावर सेक्शन के लिए ?	संचरण पथ निर्माण कार्य के दौरान टावर कमांक 7A/0 व 7A/1 के मध्य आवेदक के खसरा कमांक 324/1छ व 326/2क शामिल 325/2क पर कुल पांच वृक्षो की क्षति हुई थी जिसका राजस्व विभाग पुसौर के मूल्यांकन अनुसार मुआवजा राशि रुपये 4960/– एवं क्षतिग्रस्त वृक्षों की लकड़िया भी पावरग्रिड द्वारा आवेदक को प्रदान की गई है ।
3	टावर, तार एवं टावर निर्माण के लिए एवं टावर सेक्शन तक पहुंच के लिए मेरे जमीन के किस खसरा नं. पर कितना मुआवजा क्षतिपूर्ति दिया गया है ?	कमांक 1, 2 व 4 के अनुसार।
4	किसान के मुआवजा क्षतिपूर्ति के लिए ग्राम बिजना तह पुसौर जिला रायगढ़ की जमीन में टावर सेक्शन नं. 5/0, 6/1,7/0, 7A/1, टावर बनाने में एवं तार बिछाने में जमीन पूर्णरुप से प्रभावित हुआ है जिसका टावर सेक्शन बनाने के लिए कौन सी जमीन की खसरे नं. पर कितना मुआवजा क्षतिपूर्ति दिया गया है मुझे इस संबंध में टावर निर्माण की गतिविधियों की जानकारी हेतु खसरा नं 324/1छ, 325/2क, 326/2क, 301/2, 301/3, 252/10, 210/4, 169/2, 163/1, 163/2, 164/2 में किस खसरा नं. पर किस टावर सेक्सन के लिए कितना मुआवजा क्षतिपूर्ति दिया गया है ?	संबंधित राजस्व विभाग के आंकलन व मूल्यांकानुसार उपरोक्त संचरण पथ के मध्य आवेदक के स्वामित्व के निम्नलिखित खसरा न. के लिए मुआवजा राशि पारित है:– (तालिका नीचे)
5	फसल प्रकार एवं वृक्षों की प्रजाति प्रकार व मोटाई कटाई छटाई हेतु क्षतिपूर्ति मुआवजा प्रपत्र CCTC NO, LOCATION NO. ,RS NO. NAME OF CROP , YEILD IN QUINTAL PER HEC., RATE PER QUINTAL, RATE SQURE METER, AREA DEMAGE IN SQ. METER, AMOUNT OF COMPENSATION RS. में जानकारी दिया जाय |	लाइन निर्माण कार्य के दौरान कमांक 1,2 व 4 के अनुसार फसलो व वृक्षो की क्षति होने पर आवेदक के नाम पर मुआवजा राशि संबंधित राजस्व विभाग द्वारा पारित की गई है जिसमें धान फसल नुकसान होने पर (410 वर्ग मी.) मुआवजा राशि 5050/– व सरसो फसल नुकसान होने पर (1150 वर्ग मी.) मुआवजा राशि 7100/– आवेदक को प्रदान की गई है साथ ही 2 पेड़ नीम (100से.मी, 80 से.मी.), व 3 पेड़ बबूल (60 से.मी.) का मुआवजा राशि रुपये 4960/– का भुगतान आवेदक को किया जा चुका है। प्रति हे./किव./वर्ग मी. फसलो के उत्पादन दर की जानकारी संबंधित राजस्व विभाग से ज्ञात की जा सकती है।
6	कौन सी खाता नं पर मुआवजा दिया गया है एवं पावरग्रिड के अधिकारी द्वारा किसान को नोटिस पर्ची में कितना क्षतिपूर्ति के लिए एवं किस प्रकार के मुआवजा क्षतिपूर्ति के लिए कितना क्षेत्रफल हेतु कौन से खसरा नं. के लिए मुआवजा क्षतिपूर्ति बनाया गया एवं किसान को कितना राशि देने के लिए लंबित है ?	आवेदक को उसके ग्रमीण बैंक कोड़ातराई खाता न. 77002317391 पर क्षतिग्रस्त फसलो/वृक्षो के लिए पारित मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। प्रभावित भूमि हेतु मुआवजा राशि का भुगतान संबंधित अनुविभागीय कार्यालय द्वारा किया जा रहा हैं। पावरग्रिड द्वारा वर्तमान में आवेदक को किसी भी प्रकार से मुआवजा राशि देना लंबित नही है व शेष जानकारी कमांक 1,2,4 व 5 के अनुसार है।

(क्रमांक 4 के उत्तर की तालिका)

क्र	टावर सेक्शन	प्रभावित खसरा न.	पारित मुआवजा राशि (रुपये)
1	7A/0-7A/1	326/2/क 252/2/क	8701
2	7A/0-7A/1	324/1/छ	6123
3	4/0-5/0	301/2	5693
4	4/0-5/0	301/3	6552
5	4/0-5/0	210/4	1719

(हस्ताक्षर)

(*पत्र क्रमांक:* प.क्षे.पा.प्र.-1/पी.एम.एस./340/674 दिनांक*:* 13.01.2021)

निर्णय:

मैंने आवेदक की अपील एवं मांगी गयी सूचना से संबन्धित सभी दस्तावेजो को देख लिया है तथा जन सूचना अधिकारी को सुनने के बाद, मेरा निष्कर्ष यह है कि जन सूचना अधिकारी द्वारा दी गयी सूचना सही है, तदनुसार अपील खारिज की जाती है।

एस. आर. कुमार

एस. रविंन्दर कुमार,
कार्यपालक निदेशक, प. क्षे. -1
एवं अपीलीय अधिकारी

उपरोक्त जानकारी से संबंधित यदि आपको कोई द्वितीय अपील करना हो तो उसे प्रथम अपीलीय अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति से 90 दिनों के भीतर द्वितीय अपीलीय अधिकारी को किया जा सकता है।

द्वितीय अपीलीय अधिकारी का पता : सेंट्रल इन्फोर्मेशन कमिशन
आर. संख्या 326, सी विंग, दूसरा माला
अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा स्थल
नई दिल्ली-110 066

प्रति::

1. अपीलकर्ता: श्री. लकेश्वर चौधरी ,
ग्राम- बिजना, पो.लोहरसिंह,
तहसिल- फसोर,
जिला- रायगढ (छत्तीसगढ़) - 496100
मो. 9009261070

2. जन सूचना अधिकारी पावर ग्रिड पश्चिम क्षेत्र-1, नागपुर